भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3573

सोमवार, 10 अगस्त, 2026/ 19 श्रावण, 1948 (शक)

ईपीएफओ के तहत उच्च पेंशन विकल्प संबंधी लंबित दावे

†3573. श्री एम. के. राघवन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के उच्च पेंशन विकल्प के अंतर्गत लंबित दावों की संख्या का विशेषकर केरल सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्राप्त आवेदनों, प्रोसेसिंग किए गए, अनुमोदित किए गए और लंबित आवेदनों की संख्या का ब्यौरा क्या है और विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा लंबित आवेदनों के सत्यापन और कार्रवाई में तेजी लाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के क्षेत्रीय कार्यालयों और नियोक्ताओं को कोई निर्देश जारी किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का लंबित मामलों के निपटान और पेंशन बकाया राशि जारी करने के लिए कोई समयबद्ध तंत्र शुरू करने का विचार है; और

(ङ) सरकार द्वारा उच्चतर पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाने, नियोक्ता से संबंधित मुद्दों का समाधान करने और देश में विशेषकर केरल में पात्र पेंशनभोगियों को बढ़े हुए पेंशन लाभों का समय पर संवितरण सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के उच्च पेंशन आवेदन के अंचल-वार निपटान का विवरण **संलग्नक-क** पर संलग्न है।

(ग) से (ङ): ईपीएफओ ने दिनांक 04.11.2022 के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में निहित निदेशों को समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए कार्रवाई की है। एक ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई थी और संयुक्त विकल्पों के अधिप्रमाणन के आवेदनों को लागू प्रावधानों के अनुसार संसाधित किया गया था।

जारी/2--

उच्च वेतन पर पेंशन के समयबद्ध निपटान के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए थे। सभी आंचलिक और क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई थीं।

सरकार, निधि की स्थिति और उस पर भविष्य की देनदारियों को ध्यान में रखते हुए ईपीएस-2026 योजना के अधीन कामगारों के लिए अधिकतम हितलाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

*

संलग्नक

दिनांक 10.08.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3573 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

दिनांक **05.08.2026 तक उच्च पेंशन के लिए आवेदनों के अंचल-वार निपटान का विवरण**

आंचलिक कार्यालय	**एफओ में प्राप्त कुल आवेदनों की संख्या**	**निपटान के लिए लंबित आवेदन**
आंध्र प्रदेश (विजयवाड़ा)	56,799	115
बेंगलुरु (बेंगलुरु)	1,09,307	9
गुजरात (अहमदाबाद)	96,889	45
हरियाणा	31,738	4
राजस्थान	38,788	25
तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर)	77,147	4
तेलंगाना (हैदराबाद)	1,65,331	501
दिल्ली, उत्तराखंड और जम्मू	95,419	1389
चेन्नई और पुडुचेरी (चेन्नई)	72,044	631
महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर) (पुणे)	1,26,311	1380
मुंबई-1 (बांद्रा)	1,26,444	406
कर्नाटक (बेंगलुरु के अलावा) और गोवा (हुबली)	91,699	237
ओडिशा (भुवनेश्वर)	49,234	1341
पश्चिम बंगाल, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और सिक्किम (कोलकाता)	57,906	327
उत्तर प्रदेश	65208	236
बिहार और झारखंड (पटना)	29,944	134
मुंबई-2 (ठाणे)	28,987	148
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (भोपाल)	67,605	392
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (गुवाहाटी)	10,954	16
केरल एवं लक्षद्वीप (तिरुवनंतपुरम)	81,665	1,251
पंजाब और हिमाचल प्रदेश	44,946	3,004
कुल योग	**15,24,365**	**11,595**
